राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005

(दूरभाष नं0:—0141—2740837, फैक्स 0141—2742309, ई—मेलः—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः— एफ.4(ई)(1)(6)/2023/अलेसे—III/664-71 दिनांकः— 12-02-2026

आदेश संख्या ...528.../2025—26

श्री चन्द्रनारायण वशिष्ठ, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 1216) तत्कालीन कार्यालय संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर को रूपये 4000/— की रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा दिनांक 21.08.2009 को रंगे हाथों गिरफ्तार कर अपराध सं. 211/2009 दर्ज होने के कारण उक्त श्री वशिष्ठ को विभागीय आदेश क्रमांक 6060—64 दिनांक 27.08.2009 द्वारा गिरफ्तारी दिनांक 21.08.2009 से निलम्बित किया गया। कार्मिक (क—3) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 12.01.2011 के क्रम में गठित निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 06.06.2013 के क्रम में विभागीय आदेश संख्या 130/2013—14 दिनांक 27.06.2013 द्वारा बहाल करते हुए पदस्थापन कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलखूंट (प्रतापगढ़) में किया गया था, उक्त बहाली आदेश में निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखा गया।

श्री चन्द्रनारायण वशिष्ठ को उक्त प्रकरण में माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या—2 उदयपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 231/2019 (FIR No. 211/2009) में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2025 में अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में एक वर्ष के साधारण कारावास व रूपये 10,000/— के अर्थ दण्ड एवं धारा 13 (1)डी/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम—1988 में एक वर्ष के साधारण कारावास व रूपये 10,000/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उपरोक्तानुसार श्री चन्द्रनारायण वशिष्ठ कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कमाण्डिंग ऑफीसर, 10 राज. बटालियन एन.सी.सी (10 RAJ.BN.NCC) नेशनल कैडेट कोर, उदयपुर का यह आचरण जिसके कारण उसे दोष सिद्ध ठहराया गया है, ऐसा है कि उन्हें लोक सेवा में और आगे रखना अवांछनीय है।

उपरोक्तानुसार अद्योहस्तारक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(1) एवं कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.2(3)कार्मिक/क—3/96 दिनांक 31.12.96 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार उक्त श्री चन्द्रनारायण वशिष्ठ, कनिष्ठ लेखाकार को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के निर्णय दिनांक 04.09.2025 से राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जाता है। उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 252600030 दिनांक 02.02.2026 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

भवदीया,

(संध्या शर्मा)
निदेशक एव पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.4(ई)(1)(6)/2023/अलेसे—III/664-71 दिनांकः— 12-02-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरों राजस्थान, जयपुर।
4. कमाण्डिंग ऑफीसर, 10 राज. बटालियन, एन.सी.सी (10 RAJ.BN.NCC) नेशलन कैडेट को उदयपुर।
5. कोषाधिकारी (शहर) उदयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. उप निदेशक (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री चन्द्रनारायण वशिष्ठ, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कमाण्डिक ऑफीसर, 10 राज बटालियन एन.सी.सी. नेशलन कैडेर कोर, उदयपुर।
9. गोपनीय शाखा/जाँच शाखा/विधि/पदस्थापन सीट।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)

D:\2019\DUSHAD JI\LETTER.DOCX:-135